

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बामनवास जिला सवाई माधोपुर  
पीठासीन अधिकारी सुनील कुमार मीना आर०ए०एस०

मुकदमा नम्बर -34 / 2025 राजस्व प्रार्थना पत्र

उन्वान

1. हंसराज पुत्र देवनारायण
2. कैलाशी पत्नि देवनारायण
3. गिलासी पत्नि कैलाश
4. रामपति पत्नि हंसराज जाति मीना निवासी कुआगांव तहसील बामनवास

-प्रार्थी

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बामनवास

-अप्रार्थी

वकील प्रार्थी - श्री बनवारी लाल बंजारा एडवोकेट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक :- 11/06/2025

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजभूराज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काशत की कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 558 रकबा 2.12 है० स्थित ग्राम कुआगांव तहसील बामनवास में है। प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजी के अलग से खातेदार है। तथा अलग से आराजी की डौल मेड़ बनी हुई है। इस वजह से प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजी पर काबिज रहकर फसल काशत कर लाभान्वित होते चले आ रहे है। प्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 558 रकबा 2.12 है० स्थित ग्राम कुआगांव तहसील बामनवास के आस पास के खातेदारान प्रार्थी को आये दिन परेशान करते रहते है। एवं प्रार्थी के उक्त खेतों की बनी हुई डौल मेड़ को आये दिन तोड़ते रहते है। इस वजह से प्रार्थीगण को पत्थरगढ़ी करवाये जाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण अकेले व्यक्ति है। तथा प्रार्थीगण के उक्त खेतों के आस पास के खातेदारान डौल मेड़ को तोड़कर परेशान करते रहते है। इस वजह से प्रार्थीगण की आराजी कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 558 रकबा 2.12 है० स्थित ग्राम कुआगांव तहसील बामनवास की पत्थरगढ़ी श्रीमान तहसीलदार बामनवास द्वारा करवाया जाना न्यायहित में है। जिसके लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है। प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजी को समय-समय पर संभालता है। इसी का आस-पास के खातेदारान नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थीगण की कृषि भूमि में आये दिन काशत करने में व्यवधान पैदा करते रहते है। इस वजह से प्रार्थीगण को अपनी उक्त आराजी में पत्थरगढ़ी करवाया जाना आवश्यक हो गया है। इस वजह से प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी एवं कब्जेकाशत की भूमि की मौके पर स्थिति स्पष्ट हो सकें। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाशत की कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 558 रकबा 2.12 है० स्थित ग्राम कुआगांव तहसील बामनवास की पत्थरगढ़ी करवाये जाने के लिए श्रीमान तहसीलदार बामनवास को आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 128 राजभूराज० अधिनियम 1956 पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी की ओर से अपने खाते की नकल जमावंदी एवं तहसीलदार बामनवास की ओर से

उपजिला कलेक्टर  
बामनवास (स०ना०)

प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया। जनाबन्दी सम्बत् 2073 से 2076 ग्राम कुआगांव पटवार मण्डल विचपुरी भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र सुकार तहसील वामनवास में स्थित आराजी हाल खसरा नंबर 558 रकबा 2.12 है० स्थित ग्राम कुआगांव तहसील वामनवास स्थित भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज होकर है। प्रार्थीगण अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। हमारे द्वारा बहस वकील प्रार्थीगण की सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

// आदेश //

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम कुआगांव पटवार मण्डल विचपुरी भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र सुकार तहसील वामनवास में स्थित आराजी हाल खसरा नंबर 558 रकबा 2.12 है० स्थित ग्राम कुआगांव तहसील वामनवास में स्थित आराजी हाल खसरा नंबर 558 रकबा 2.12 है० स्थित ग्राम कुआगांव तहसील वामनवास भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू० अ० निरीक्षक सुकार को 1000/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। अतः भू०अ०निरीक्षक सुकार जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार वामनवास को पालना हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 11/06/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर कोर्ट मुख्यालय पर सुनाया गया।

(सुनील कुमार मीना)

उपमुख्य जिला कारावाटर  
वामनवास (मिनवर्हा मण्डल)